संख्या-3/2020/जी-2-6/दस-2020/626/2000

प्रेषक,

सरयू प्रसार मिश्र,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तर प्रेदश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2020**

विषयः वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता एवं स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के त्रुटिपूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या-2/3545/2019-4/200/95, दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि आपको सम्बोधित एवं वित्त विभाग को पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारियों को त्रुटिपूर्ण ढंग से रू0 700 प्रतिमाह की दर से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता के रूप में भुगतान किया जा रहा था, जिसे उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 से तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

2- उक्त के संदर्भ में आपके संज्ञान में यह तथ्य लाया जाना महत्वपूर्ण है कि वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता समय-समय पर संशोधित की गयी दरों के अनुसार उन शासकीय कर्मचारियों को अनुमन्य है, जिनके पदनाम से वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-3 के नियम-82 के साथ पठित परिशिष्ट-8 में उन्हें यह भत्ता एक निश्चित वाहन के लिये अनुमन्य किया जा चुका हो। इसी प्रकार स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) समय-समय पर संशोधित की गयी दरों के अनुसार उन शासकीय कर्मचारियों को अनुमन्य है, जिनके पदनाम से वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-38(1) के साथ पठित परिशिष्ट-12 में उन्हें यह भत्ता एक निश्चित दर पर अनुमन्य किया जा चुका हो।

3- इस प्रकार जिन किन्हीं भी सरकारी सेवकों को उनके लिये उपर्युक्त नियमों में अनुमन्य वाहन हेतु वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता अथवा उनके लिए अनुमन्य दर के स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) से भिन्न कोई भुगतान हुआ है, वह अनियमित है और इस त्रुटि का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

4- अतएव निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या-2/3545/2019-4/200/95, दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तस्3 में उल्लिखित त्रुटि का निराकरण किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सरयू प्रसार मिश्र
विशेष सचिव

<u>संख्या-3/2020/जी-2-6/दस-2020/626/2000, तद्-दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-2/3545/2019-4/200/95, दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 के संदर्भ में।
2- समस्त मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त प्रस्तरों में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत पंचायतीराज सहित जिस किसी भी विभाग में भुगतान किया जा रहा हो उसे तत्काल रोका जाना सुनिश्चित किया जाय।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।